जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में ली गई समीक्षा बैठक दिनांक 25.10.2022 का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा दिनांक 25.10.2022 को की गयी, जिसमें जल निगम (ग्रामीण)/कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/डीपीएमयू/आई0एस0ए0 के निम्न अधिकारी एवं उनके कर्मचारी उपस्थित थे–

1– श्री एम0ए0 किदवाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ।
2– श्री के0 भाष्कर, प्रतिनिधि मे0 एल0सी0 इन्फ्रा।
3– श्री दीपक शुक्ला, डी0पी0एम0,टी0पी0आई0 संस्था।
4– श्री प्रदीप केशरी, डी0पी0एम0यू0।
5– श्री बृजेश गिरी,प्रतिनिधि अभिनव बाल विकास संस्थान (आई0एस0ए0)
6– श्रीमती शिखा तिवारी, प्रतिनिधि समाज कल्याण ग्रामोद्योग (आई0एस0ए0)

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्न निर्णय/निर्देश दिये गये।

1– बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हेतु नामित कार्यदायी संस्था मे0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद द्वारा 461 नग लक्षित राजस्व ग्रामों के विरूद्ध 180 नग आगणन (388 राजस्व ग्राम) प्रस्तुत किये गये है। उक्तानुसार मे0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद को अवशेष 73 राजस्व ग्रामों के आगणन अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

2– समीक्षा बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश स्तर पर औसतन प्रति सप्ताह एफएचटीसी फीडिंग 1800 के विरूद्ध इस सप्ताह एफएचटीसी की फीडिंग केवल 607 है। उक्त स्थिति पर नामित कार्यदायी संस्था मे0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद के उपस्थित प्रतिनिधि को कड़े निर्देश दिये गये कि किसी प्रकार भी प्रति सप्ताह एफएचटीसी की प्रदेश स्तर की औसत फीडिंग से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक 15 दिन की योजनाओं को पूर्ण करने/एफएचटीसी कार्यों की कार्ययोजना तुरन्त से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

Scanned with OKEN Scanner

3— कार्यो की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक स्वीकृत कुल 112 नग योजनाओं के विरूद्ध सभी स्थानों पर कार्य प्रारम्भ नही हुआ है। कार्यदायी संस्था मे0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद के उपस्थित प्रतिनिधि को अधिकतम 10 दिनों के अन्दर सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।

4— बैठक में उपस्थित टीपीआई के प्रतिनिधि द्वारा अपनी प्रगति रिर्पोट से अवगत कराया गया कि कई स्थानों में सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन फर्म द्वारा नहीं किया जा रहा है। उक्त सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मे0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद के उपस्थित प्रतिनिधि को कार्यो के दौरान सेफ्टीनेट, बैरिकेटिंग तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पूर्णतया उपयोग करने का निर्देश दिया गया और कार्यदायी संस्था को यह चेतावनी दी गई कि उनकी लापरवाही के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी फर्म उत्तरदायी होगी।

5— बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), मऊ/टीपीआई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कई योजनाओं पर फर्म द्वारा पाईप लाईन बिछाने के दौरान काटी गई संड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य एवं गड्ढों में मिट्टी भराई का कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिससे विभिन्न स्थानों पर गड्ढे खुले हुए है। बार—बार निर्देशों के बाद भी फर्म द्वारा त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 10 दिनों के अन्दर समस्त काटी गई सडको की मरम्मत कराने हेतु तथा इन्हें चलने योग्य बनाने हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

6— बैठक के दौरान टीपीआई द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर पर उनके कुल 09 अभियन्ताओं द्वारा कार्यो का निरीक्षण किया जा रहा है। यह निर्देश दिये गये कि लगातार योजनाओं की बढ़ती संख्या के कारण केवल 09 अभियन्ताओं द्वारा कार्यों की समुचित रूप से मानीटरिंग में कठिनाई रहेगी। इस सम्बन्ध में टीपीआई के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि मेरे स्तर से सक्षम स्तर पर उक्त हेतु, टीपीआई द्वारा पत्र प्रेषित कराया जाय।

7— बैठक में डीपीएमयू द्वारा जनपद में कार्यरत दोनों आईएसए क्रमश : अभिनव बाल विकास संस्थान एवं समाज कल्याण ग्रामोद्योग की प्रगति प्रस्तुत की गई, दोनों आईएसए की प्रगति संन्तोषजनक नहीं पायी गयी। डीपीएमयू द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आईएसए द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण प्रगति प्रभावित हो रही है। उपस्थित दोनों

Scanned with OKEN Scanner

संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अतिशीघ्र कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने तथा इसकी कार्ययोजना तुरन्त से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डीपीएमयू को यह निर्देशित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार ग्रामों में कार्यो की रेण्डमली जांच करें और यदि कर्मचारियों की संख्या कम पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

उक्त पर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

31/10/25

(प्रशांत नागर)
आई.ए.एस
मुख्य विकास अधिकारी
O/C मऊ

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।

पत्रांक 1649 / W-86 / 473 दिनांक 31/10/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), लखनऊ।

2— जिलाधिकारी महोदय,मऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।

3— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), मऊ को इस निर्देश के साथ कि स्वंय अनुश्रवण कर समस्त कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

31/10/25

मुख्य विकास अधिकारी
O/C मऊ।

Scanned with OKEN Scanner